



**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प-जबलपुर**  
**प्रक्रिया/जबलपुर/भू.रा/2018/1524**

निगरानी प्रकरण क्रमांक

/2018 जिला जबलपुर

रत्नासिंह ठाकुर पिता गुलाब सिंह ठाकुर  
 पति विवेक रावत उम्र 37 वर्ष  
 निवासी 109-ए महाकौशल कालोनी,  
 सरस्वती स्कूल के पीछे,  
 आधारताल जबलपुर

--- आवेदक

**विरुद्ध**

- 1- धर्मेन्द्र शुक्ला पिता श्री सदाफल शुक्ला  
 निवासी मथुरा बिहार आईटीआई  
 जबलपुर
- 2- म0प्र0 शासन द्वारा  
 कलेक्टर, जिला जबलपुर

--- अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ-21/2017-18 में पारित आदेश  
 दिनांक 09-01-2018 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत  
 निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है।
- 2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदिका द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम ऐंठाखेड़ा, न.बं. 97/79 प.ह.नं. 28 रा.नि.मं. जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 206 रकबा 3.930 हेक्टर स्थित है। इस भूमि के अतिरिक्त आवेदिका के पास अन्य ग्राम ग्राम प.ह.नं. 32 में खसरा नं. 163 रकबा 4.820 एवं खसरा नं. 139 रकबा 0.520 कुल 5.340 हेक्टर भूमि और है। आवेदक ग्राम ऐंठाखेड़ा की भूमि खसरा नं. 206 रकबा 3.930 को अनावेदक क्रमांक 1 गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री धर्मेन्द्र शुक्ला पिता श्री सदाफल शुक्ला को विक्रय करना चाहता है। अतः उसे विक्रय की अनुमति दी जाये।

यहकि, कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी से जांच

33

श्री-धर्मेन्द्र शुक्ला को  
 डा. अणुबहादुर अग्रवाल  
 28/2/18

श्री-धर्मेन्द्र शुक्ला  
 28/2/2018

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/जबलपुर/भू0रा0/2018/1524

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-3-18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 23/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 09-1-2018 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 14-2-17 को अदम पैरवी में निरस्त किये जाने पर आवेदक द्वारा उसके पुर्नस्थापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर न करते हुए गुणदोषों पर किया जाये । अतः प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है ।</p> <p>3/ प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की गई भूमि के विक्रय की अनुमति से संबंधित है, जो आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदन में आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ऐंठाखेडा नं0बं0 97/79 प0ह0नं0 28 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 206 रकबा 3.930 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है विक्रय हेतु आवेदित भूमि आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय की गई भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति की सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त अन्य ग्राम में 5.340 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम ऐंठाखेडा नं0बं0 97/79 प0ह0नं0 28 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 206 रकबा 3.930 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान</p>	



XXXIX(a)BR(H)-11

- 4 -

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/जबलपुर/भू0रा0/2018/1524

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके ) बैंक चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p style="text-align: right;"> ( एम. गोपाल रेड्डी ) प्रशासकीय सदस्य</p>	